

माध्यमिक स्तर की शिक्षा का विकास तथा उसकी समस्याएं व समाधान

सारांश

स्वतन्त्र भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में अत्यन्त द्रुत गति से परिवर्तन हो रहे थे। इन परिस्थितियों में समन्वय की स्थापना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। इसलिए सन् 1948 में “केन्द्रीय-शिक्षा-सलाहकार बोर्ड” (central Advisory Board of Education) ने भारत सरकार को एक आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया। सन् 1951 में उसने अपने सुझाव यह कहकर पुनरावृत्ति की कि माध्यमिक शिक्षा एकमार्गीय है, और उसे ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के समक्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने अथवा नौकरी खोजने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। अतः माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी अपनी अभिलेखियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार माध्यमिक शिक्षा से लाभान्वित हो सकें।

“बोर्ड” के सुझाव से सन्तुष्ट होकर, भारत सरकार ने 23 सितम्बर सन् 1952 को मद्रास-विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदलियर की अध्यक्षता में “माध्यमिक-शिक्षा आयोग” की नियुक्ति की घोषणा की।

अध्यक्ष के नाम पर इस “आयोग” को “मदलियर कमीशन” भी कहा जाता है।

मुख्य शब्द : एकमार्गीय, मुदलियर कमीशन, सार्जेण्ट वर्गीकृत, एकमुखी, बहुमुखी उद्देश्यहीनता।

प्रस्तावना

सन् 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन् 1986 में कक्षा 11 व 12 की शिक्षा को स्कूल शिक्षा क्रम में समाहित करने का प्रयास करने का संकल्प किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक चलने वाली माध्यमिक शिक्षा का प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर होता है तथा उच्च, शिक्षा से पूर्व यह समाप्त हो जाती है। शिक्षा आयोग 1964-66 ने भी माध्यमिक शिक्षा को निम्न दो भागों में विभाजित किया था।

1. निम्न माध्यमिक शिक्षा
2. उच्च माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का विकास

ब्रिटिश काल में माध्यमिक शिक्षा का विकास

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले भारत में माध्यमिक शिक्षा का विकास हुआ। सन् 1835 में रस्वप्रथम लार्ड ऐकेले ने माध्यमिक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। सन् 1844 में राजकीय पदों पर भारतवासियों को नियुक्त किया जाने लगा, जिसके कारण माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों का निर्माण तीव्र गति से हुआ। सन् 1854 में बुड के घोषणा-पत्र ने माध्यमिक शिक्षा की प्रगति में विशेष योगदान दिया। सन् 1882 में हण्टर आयोग ने हाईस्कूल में शिक्षा पाठ्यक्रम को दो भागों में वर्गीकृत करने का सुझाव दिया। सन् 1882 तक स्कूलों की कुल संख्या 3916 थी और सन् 1902 में इन स्कूलों की संख्या में वृद्धि होकर संख्या 5124 तक हो गयी। सन् 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय का यह अधिकार दे दिया गया कि वे उन माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में नियम बना सकते हैं जो अपने छात्रों को मेट्रोकुलेशन की परीक्षा में बैठाना चाहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनक अवाञ्छनीय विश्वविद्यालय बन्द हो गये। सन् 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए आन्दोलन हुआ तथा सन् 1922 तक कई नये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले गये जिसका स्वरूप माध्यमिक विद्यालयों के समान ही था। सन् 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने यह सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाये। सन् 1944 में सार्जेण्ट रिपोर्ट में कहा गया कि 11 वर्ष तक की आयु से पहले किसी भी छात्र को हाईस्कूल में प्रवेश न दिया जाये तथा प्राविधिक और साहित्यिक

हाईस्कूलों की स्थापना की जाये। इसी काल में विभिन्न समितियों तथा आयोगों द्वारा शिक्षा सुधार के प्रयत्न किये गये, किन्तु माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ।

उद्देश्य

माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य है कि स्कूल के लिए नहीं, अपितु जीवन के लिए विद्याध्ययन करेंगे, जिससे वे उत्साही, तत्पर, फूर्तीले, परिश्रमी तथा जीवन तथा जीवन के किसी भी कार्य के लिए विश्वस्त बन सकें। पत्थेक व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु पढ़ना ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा वह अनिवार्य पद्धति है, जिसके अनुसार बच्चों में मानवता का संचार किया जाता है। शिक्षा जन्म के समय से ही प्रारम्भ हो जानी चाहिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा का विकास स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शिक्षा के विकास के लिए अनेक प्रयास किये गये। सन् 1948 में ताराचन्द्र समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा बहुमुखी होनी चाहिए, परन्तु स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एकमुखी शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाये, परन्तु स्थानीय परिस्थितियोंवश यह सम्भव नहीं हो सका। इस समिति ने यह सुझाव भी दिया कि माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की जाँच करने लिए एक आयोग गठित किया जाये, इसीलिए ताराचन्द्र समिति तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को अधिकाधिक उपयोगी तथा व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया तथा साथ ही साथ यह सुझाव भी दिया कि इसका गठन इस प्रकार से होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास हो सके। इस समिति ने चरित्र निर्माण तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव दिये। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये—

1. पाठ्यक्रम में व्यावहारिकता लाने के साथ-साथ ही तीन भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया जाये।
2. उत्तीर्ण छात्रों में से 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाये।
3. माध्यमिक स्तर पर नवीन शिक्षण नीतियों को अपनाया जाये।
4. वर्गीय शिक्षा के बाद ही हाईस्कूल की परीक्षा होनी चाहिए तथा माध्यमिक स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही छात्र को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रवेश दिया जाना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा की समस्यायें एवं उनका समाधान

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त, माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने हेतु विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपने-अपने सुझावों को प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी विभिन्न समस्यायें माध्यमिक शिक्षा के विकास में बाधक बनी हुई हैं, जिनके कारण माध्यमिक शिक्षा दोषपूर्ण है। ये समस्यायें एवं उनके समाधान के सुझाव निम्नलिखित हैं।

उद्देश्य हीनता की समस्या

माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षण के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी नहीं होती है और न ही इसके लिए वे काई नियोजित प्रयत्न कर पाते हैं। इसी कारण वे बालकों में वांछनीय परिवर्तन करने असफल रहते हैं। उद्देश्य न हाने के कारण बालकों का भविष्य भी अन्धकारमय रहता है। उद्देश्यहीनता की समस्या के समाधान के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा का उद्देश्य निश्चित किया जाये तथा शिक्षा का एक स्वतन्त्रता इकाई बनाया जाये।

मुदालियर आयोग में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य सम्बन्धी निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये।

1. व्यावसायिक कुशलता में बौद्धि की जाये।
2. बालकों की नेतृत्व शिक्षित का विकास किया जाये।
3. बालक में लोकतान्त्रिक नागरिकता का विकास किया जाये।
4. बालकों के व्यक्तित्व का विकास किया जाये।

शिक्षा की दोषपूर्ण नीति

ज्ञान को भली प्रकार से छात्रों तक पहुँचाने की शिक्षण विधियों महत्पूर्ण साधन हैं। परन्तु आज भी हमारे देश में अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में परम्परागत शिक्षण विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। नवीन शिक्षण विधियों से शिक्षक तथा छात्र दोनों ही अनभिज्ञ हैं। शिक्षा की दोषपूर्ण नीति को समाप्त करने के लिए छात्र व शिक्षक को नवीन शिक्षण विधियों से परिचित कराया जाये तथा नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जायें।

अपर्याप्त पाठ्य-पुस्तकें

माध्यमिक स्तर पर प्रकाशित अधिकांश: पाठ्य-पुस्तकें ऐसी हैं, जिनसे छात्र स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। अवबोधनीय, सरल तथा स्पष्ट भाषा का इन पाठ्य-पुस्तकों में अभाव पाया जाता है। पाठ्य-प्रस्तुत को वांछित रूप से न समझ पाने के कारण अधिकांश छात्र पाठ्य-प्रस्तुत को रट लते हैं।

यदि रटे हुए प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं तो वे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं।

मुदालियर तथा कोठारी आयोग ने अपर्याप्त पाठ्य-पुस्तकों में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये।

1. पाठ्य-पुस्तकें शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए।
2. पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण छात्रों की बौद्धिक योग्यता तथा कक्षा की परिस्थितियों के अनुसार किया जाये।
3. पाठ्य-पुस्तकों की भाषा सरल तथा स्पष्ट हों।
4. पाठ्य-पुस्तकों के चयन, निर्माण तथा प्रकाशन के लिए एक समिति का गठन किया जाये, जिसका सभापतित्व शिक्षा संचालक करे।

व्यावसायीकरण की समस्या

औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप आज माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण करना अत्यन्त आवश्यक है। कोठारी आयोग के अनुसार, 'इस शिक्षा को विस्तृत पैमाने पर व्यावसायिक बनाया जाये तथा 1968 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की विद्यार्थी संख्या का बीस प्रतिशत व उच्चतर माध्यमिक स्तर की समग्र विद्यार्थी संख्या का पचास

प्रतिशत कर दिया जाये," परन्तु विभिन्न आयोगों द्वारा प्रस्तुत सुझावों के उपरान्त भी आज शिक्षा के व्यावसायीकरण में कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए हैं।

व्यावसायीकरण की समस्या के समाधान के लिए माध्यमिक स्तर पर दो पकार की व्यवस्था की जाये—

1. सामान्य शिक्षा
2. व्यावसायिक शिक्षा।

इन दोनों स्तरों पर एक से तीन वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए धनी व्यक्तियों से शिक्षा—कर लिया जाये। छात्रों को व्यावसायिक केन्द्रों में ले जाकर उन्हें व्यावसायिक ज्ञान प्रदान किया जाये तथा व्यावसायिक शिक्षा की प्राप्ति के पश्चात् उन्हें रोजगार दिलाने का हर सम्भव प्रयास किया जाये।

अवांछित विद्यालयों की वृद्धि

भारत में सरकारी तथ गैर—सरकारी दोनों प्रकार के माध्यमिक विद्यालय हैं। शिक्षा विस्तार के साथ अनेक अवांछित विद्यालयों में वृद्धि हुई है। इन विद्यालयों में छात्रों से अधिक फीस ली जाती है। शिक्षकों से अधिक वेतन लिखावाकर उन्हें कम वेतन दिया जाता है।

अवांछित विद्यालयों की वृद्धि की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए।

1. देश के सभी अवांछनीय विद्यालय बन्द कर दिये जायें।
2. सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिये जिससे इन विद्यालयों के प्रबन्धक लाभ न उठा सकें।

दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली

माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। यह परीक्षा प्रणाली छात्रों में अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है। अधिकांश छात्र नकल की ओर आकर्षित होते हैं। तथा शिक्षक भी शिक्षण के प्रति लापरवाही दिखाते हैं। प्रश्न—पत्रों में लघु तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभाव रहता है।

दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली की समस्या के समाधान हेतु मुदालियर आयोग ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये।—

1. बाह्य परीक्षायें कम होनी चाहिए।
2. बाह्य तथा आन्तरिक परीक्षाओं के कार्यों का मूल्यांकन अंकों के स्थान पर ग्रेडों द्वारा किया जाये।
3. परीक्षा में केवल निबन्धात्मक प्रश्न ही नहीं पूछे जायें।
4. विद्यालय में प्रत्येक छात्र का एक विद्यालय अभिलेख हो जिससे छात्र द्वारा अनेक क्षेत्रों में प्राप्त की गयी सफलताओं का वर्णन किया जाये।

विस्तार की समस्या

हमारे देश में आज माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। छात्रों की संख्या के अनुपात में विद्यालयों की संख्या कम है। इसी कारण एक—एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 70 से अधिक होती जा रही है जिससे शिक्षक प्रत्येक छात्र पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक

विकास की दृष्टि से विस्तार की समस्या एक गम्भीर समस्या बनी हुयी है।

विस्तार की समस्या के समाधान हेतु विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाये। एक—एक कक्षा में कम विद्यार्थी बैठाये जायें जिससे शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दे सकें।

पाठ्यक्रम की समस्या

माध्यमिक स्तर की शिक्षा दोषपूर्ण है। समस्त विद्यार्थी निर्धारित ओर परस्परागत पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं। छात्रों को अपनी रुचि तथा मानसिक योग्यता के अनुसार विषय—चयन के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं जिससे वे अभिवृत्तियों तथा मौलिक विचारों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

पाठ्यक्रम की समस्या के समाधान के लिए मुदालियर आयोग ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये—

1. पाठ्यक्रम छात्रों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए।
2. पाठ्यक्रम छात्रों की विभिन्न योग्यताओं तथा क्षमताओं का विकास करने वाला होना चाहिए।
3. पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए।
4. छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विषयों के चयन का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

शिक्षकों स्थिति

माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षणकार्य करने वाले अनेक शिक्षक आज भी अप्रशिक्षित हैं। अनमें से अधिकांश शिक्षकों को शिक्षण कार्य में रुचि नहीं होती और जिनकी रुचि होती है वे कम वेतन के कारण अपना कार्य निष्ठापूर्वक नहीं कर पाते हैं। इन सब बातों का प्रभाव विद्यार्थियों के शैक्षिक जीवन पर पड़ता है, फलस्वरूप उनका भविष्य अन्धकारपूर्ण हो जाता है।

इस समस्या के समाधान हेतु शिक्षकों को शिक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाये। शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाये जिससे उनकी इस व्यवसाय में रुचि उत्पन्न हो तथा वे अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर सकें।

सामुदायिक जीवन का अभाव

भारत में अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में सामुदायिक जीवन का अभाव पाया जाता है। क्योंकि इन विद्यालयों में सामाजिक कार्यों का आयोजन नहीं किया जाता है। परिणमस्वरूप छात्रों में परस्पर प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना का विकास नहीं हो पाता है, और नहीं उनमें सामुदायिक जीवन की भावना का विकास हो पाता है। ये विद्यालय छात्रों को उत्तम नागरिक बनाने तथा उनमें सुसंगठित सामुदायिक जीवन व्यतीत करने की भावना का विकास करने में असमर्थ है। परिणमस्वरूप इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् छात्र देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक नहीं बन पाते हैं।

इन समस्या के समाधान के लिए विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाये। सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी तथा जनता सभी मिलकर इस कार्य को करें तथा समस्त विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाने के लिए अपना योगदान दें।

निष्कर्ष

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनों को ध्यान में रखकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार किया जा सकता है।

1. एस० क० पाण्डेय—आधुनिक भारत, सुमित प्रकाशन इलाहाबाद।
2. पी० डी० पाठक— भारतीय शिक्षा और समस्यायें विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा—2।

3. भारतीय शिक्षा का विकास—लाल विहारी रमन, पलोड सुनीता, आर० लाल० बुक डिपो मेरठ।
4. एम० बी० बुच—ए सर्व ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन इन इण्डिया, NCERT —भाग—4।
5. इंटरनेट—WWW.Schoold ports. in
6. WWW upefa.Com